भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2191
जिसका उत्तर गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

लंबित मामलों की निगरानी

2191 श्रीमती फूलो देवी नेतम :
श्री नीरज डांगी :
श्रीमती रंजीत रंजन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या मंत्रालय ने एनसीआरबी के वर्ष 2023 के आंकड़ों की समीक्षा की है, जो दर्शाते हैं कि आरोपपत्र की दर 70 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद, केवल 20-36 प्रतिशत मामलों में ही बड़े अपराधों के लिए दोषसिद्धि हो पाती है :
(ख) मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार कार्यशील फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) और विशिष्ट पॉक्सो न्यायालयों की संख्या कितनी है तथा वर्ष 2020 से अब तक क्रमशः मामलों के निपटान और दोषसिद्धि की दरें कितनी है ;
(ग) एफटीएससी और पॉक्सो न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई में राज्य-वार औसतन कितना समय लगता है ; और
(घ) क्या मन्त्रालय पारदर्शिता और निगरानी के लिए एफटीएससी डेटा को राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) से जोड़ने का विचार रखता है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : मंत्रालय में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट 'क्राइम इन इंडिया 2023' का अध्ययन किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के पास उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 में आईपीसी अपराधों के लिए कुल दोषसिद्धि दर 54 प्रतिशत पर है, जबकि आरोपपत्र दाखिल करने की दर 72 प्रतिशत है। तथापि, दोषसिद्धि दर मुख्य रूप से जांच और साक्ष्य की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, जिसमें मौखिक साक्ष्य और त्वरित सुनवाई सम्मिलित है, जिसके लिए भारत सरकार ने कई उपाय लिए हैं। इस संबंध में नए आपराधिक विधि के अधीन कई उपबंध प्रस्तावित किए गए हैं, वहीं अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय व्यवस्था और ई-कोर्ट परियोजना के अधीन कई तकनीकी मध्यक्षेत्र किए गए हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुरूप निर्मित ई-साक्ष्य प्लेटफॉर्म, डिजिटल साक्ष्यों के संग्रह, प्रबंधन और आदान-प्रदान को सुव्यवस्थित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक को एकीकृत करता है। ई-साक्ष्य मोबाइल ऐप अपराध स्थल पर ही महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र करता है और बयान दर्ज करता है, घटनास्थल का दस्तावेजीकरण करता है और वास्तविक समय में निष्कर्ष अपलोड करता है, जिससे यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी ब्यौरे उपेक्षित न हुए हो।

यह गूढ़लेखित लॉकर के साथ अन्वेषण संबंधी डेटा को तेजी से और सुरक्षित रूप से संग्रहीत करता है, और डेटा की अखंडता और गोपनीयता की गारंटी देता है, जो सभी डिजिटल साक्ष्यों के लिए एक सुरक्षित लॉकर कार उपबंध करता है। ई-साक्ष्य प्लेटफॉर्म पर विद्धमान साक्ष्य प्रत्यक्षतया न्यायालय के लिए अभिगम्य होगें।

इसके अतिरिक्त, अंतरसंचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के अधीन 2024 में न्याय श्रुति ऐप लॉन्च किया गया है, ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्तों, गवाहों, पुलिस अधिकारियों, अभियोजकों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों, कैदियों आदि की आभासी उपस्थिति और गवाही को सुविधाजनक बनाया जा सके, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो और मामलों का निपटान तेजी से हो सके। अदालती नोटिस और समन के त्वरित और अधिक विश्वसनीय संचार के लिए, ई-समन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।

भारत सरकार चार वर्षों में 7,210 करोड़ रुपये के व्यय के साथ ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण को लागू कर रही है। ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण का उद्देश्य भारतीय न्यायालयों को डिजिटल और कागज रहित अदालतों में परिवर्तित करना है। इसके अधीन वर्तमान और पुराने मामलों के रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ किया जाएगा, सभी न्यायालयों, जेलों और चयनित अस्पतालों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का विस्तार किया जाएगा और यातायात उल्लंघनों से परे ऑनलाइन अदालती सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। परियोजना का लक्ष्य अत्याधुनिक क्लाउड-आधारित डेटा भंडार का निर्माण करना है, जिसमें डिजिटाइज़ किए गए अदालती रिकॉर्ड और आवेदन संग्रहीत किए जाएंगे, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर) जैसी उभरती तकनीको को लागू करना है। डिजिटल कोर्ट 2.1 प्लेटफॉर्म न्यायाधीशों को सभी मामले से संबंधित दस्तावेजों, दलीलों और साक्ष्यों के डिजिटली अभिगम को सक्षम बनाता है, जो कागज रहित अदालती व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसके अलावा, भारत सरकार भारत में न्याय तक समग्र अभिगम के लिए अभिनव समाधान तैयार करने (DISHA) स्कीम लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य न्याय तक अभिगम के जनादेश को पूरा करना है। इस स्कीम का लक्ष्य अपने तीन अखिल भारतीय पहलों, टेली-लॉ, न्याय बंधु (नि:शुल्क विधिक सेवाएं) और विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम को समेकित और मुख्यधारा में लाना है, जो मुकदमेबाजी से पहले की व्यवस्था को मजबूत करते हैं ताकि नागरिकों को निर्बाध विधिक सेवाएं/सहायता प्रदान की जा सके।

(ख) : विशेष लैंगिंक अपराधों से बालको का सरंक्षण (ई-पीओसीएसओ) न्यायालयों सहित, अक्टूबर 2019 में, फास्ट ट्रैक स्पेशल (एफटीएससी) की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम शुरू की गई थी। ये न्यायालय लैंगिंक अपराधों से बालको का सरंक्षण अधिनियम, 2012(पीओसीएसओ) के अधीन लंबित मामलों के समयबद्ध सुनवाई और निपटान के लिए समर्पित हैं।

790 न्यायालयों की स्थापना वाली इस स्कीम को दो बार बढ़ाया गया है, नवीनतम विस्तार 31 मार्च 2026 तक है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31.03.2025 तक, 30 राज्यों/केंद्र एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 745 आईटीएससी (अत्यावश्यक फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) कार्यरत थे, जिनमें 404 विशेष पीओसीएसओ (ई-पीओसीएसओ) न्यायालय सम्मिलित थे। स्कीम की शुरुआत से अब तक इनमें कुल 3,19,685 मामलों का निपटान किया गया है। विशेष

पीओसीएसओ न्यायालयों सहित कार्यरत फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) का राज्य/एव राज्य क्षेत्रों ब्यौरे और 31.03.2025 तक निपटाए गए मामलों का ब्यौरे **उपाबंध-1** में दिए गए है।

वर्ष 2023 और 2024 के दौरान उच्च न्यायालयों से प्राप्त एफ.टी.एस.सी. में दोषसिद्धि दर का राज्य/एवं संघ राज्य क्षेत्रों वार ब्यौरे **उपाबंध-2** में दिए गए है।

(ग) : उच्च न्यायालयों से प्राप्त इनपुट के अनुसार, 2024 के दौरान विशेष पीओसीएसओ न्यायालयों सहित एफटीएससी में लिए गए औसत परीक्षण समय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों-वार ब्यौरे **उपाबंध-3** में दिए गए है।

(घ) : एफटीएससी ई-कोर्ट्स परियोजना के अधीन विकसित केस सूचना प्रणाली (सीआईएस) का उपयोग कर रहे हैं। चूंकि एफटीएससी का सीआईएस डेटा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उसी तर्ज पर उपलब्ध है, जैसे कि उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन अन्य नियमित न्यायालयों के मामले में होता है।

****

उपाबंध-1

31/03/2025 तक विशेष पॉक्सो (ईपॉक्सो) अदालतों के साथ-साथ कार्यात्मक एफटीएससी का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कार्यात्मक न्यायालय		स्कीम की शुरुआत के बाद से संचयी निपटान		
		ईपॉक्सो सहित एफटीएससी	ईपॉक्सो	एफटीएससी	ईपॉक्सो	कुल
1	आंध्र प्रदेश	16	16	0	6976	6976
2	असम	17	17	0	8329	8329
3	बिहार	46	46	0	15860	15860
4	चंडीगढ़	1	0	349	0	349
5	छत्तीसगढ़	15	11	1221	4897	6118
6	दिल्ली	16	11	720	1837	2557
7	गोवा	1	0	68	34	102
8	गुजरात	35	24	3122	12554	15676
9	हरियाणा	16	12	1933	5833	7766
10	हिमाचल प्रदेश	6	3	545	777	1322
11	जम्मू - कश्मीर	4	2	125	161	286
12	झारखंड	22	16	2704	6097	8801
13	कर्नाटक	30	17	5123	8237	13360
14	केरल	55	14	16808	7602	24410
15	मध्य प्रदेश	67	56	4699	26305	31004
16	महाराष्ट्र	4	1	8685	12004	20689
17	मणिपुर	2	0	180	0	180
18	मेघालय	5	5	0	684	684
19	मिजोरम	3	1	193	68	261
20	नागालैंड	1	0	65	3	68
21	ओडिशा	44	23	6827	12302	19129
22	पुडुचेरी	1	1	0	139	139
23	पंजाब	12	3	2658	2412	5070
24	राजस्थान	45	30	5570	12878	18448
25	तमिलनाडु	14	14	0	9656	9656
26	तेलंगाना	36	0	8190	2731	10921
27	त्रिपुरा	3	1	240	224	464
28	उत्तराखंड	4	0	1869	0	1869
29	उत्तर प्रदेश	218	74	42580	46261	88841
30	पश्चिमी बंगाल	6	6	0	350	350
	कुल	**745**	**404**	**114474**	**205211**	**319685**
टिप्पण : झारखंड राज्य अपने पत्र तारीख 07.07.2025 के माध्यम से स्कीम से बाहर हो गया। इस स्कीम के अधीन, मई 2025 तक राज्य में 22 एफटीएससी कार्यरत थे।						

* उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

उपाबंध-2

वर्ष 2023 और 2024 के दौरान एफटीएससी में दोषसिद्धि दर का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण*

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	दोषसिद्धि दर (%)	
		2023	2024
1	आंध्र प्रदेश	3.97	5.19
2	असम	16.7	35
3	बिहार	17.29	14.51
4	चंडीगढ़	67	16.915
5	छत्तीसगढ़	16.88	23.69
6	दिल्ली	24.94	8.59
7	गोवा	39	9.69
8	गुजरात	7.42	9.53
9	हरियाणा	15.52	40.5
10	हिमाचल प्रदेश	25.04	8.24
11	जम्मू - कश्मीर	6	4.5
12	झारखंड	21.2	14.78
13	कर्नाटक	12.54	8.1
14	केरल	9.9	13
15	मध्य प्रदेश	27.45	14.5
16	महाराष्ट्र	10.55	6.07
17	मणिपुर	21.86	7
18	मेघालय	58.49	45
19	मिजोरम	14.14	33.5
20	नागालैंड	24	25
21	ओडिशा	13.32	10.63
22	पुडुचेरी	17	17.94
23	पंजाब	12.46	47.19
24	राजस्थान	22.6	18.29
25	तमिलनाडु	28.5	25.82
26	तेलंगाना	7.12	7
27	त्रिपुरा	6.87	5.3
28	उत्तर प्रदेश	26.49	25.11
29	उत्तराखंड	22.42	22.5
30	पश्चिमी बंगाल	1	2

*उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान किए गए विवरण के अनुसार

उपाबंध-3

2024 के दौरान विशेष पॉक्सो अदालतों सहित एफटीएससी में लिए गए औसत परीक्षण समय का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	एफटीएससी में परीक्षण के लिए लिया गया औसत समय (दिनों में)
1	आंध्र प्रदेश	257
2	असम	940
3	बिहार	941
4	चंडीगढ़	592.5
5	छत्तीसगढ़	332.5
6	दिल्ली	1639.5
7	गोवा	547.5
8	गुजरात	1292.5
9	हरियाणा	575
10	हिमाचल प्रदेश	434.5
11	जम्मू - कश्मीर	912.5
12	झारखंड	640.5
13	कर्नाटक	817
14	केरल	796.5
15	मध्य प्रदेश	380
16	महाराष्ट्र	575
17	मणिपुर	1350
18	मेघालय	910
19	मिजोरम	1155
20	नागालैंड	1185
21	ओडिशा	499.5
22	पुडुचेरी	180
23	पंजाब	590
24	राजस्थान	880
25	तमिलनाडु	466
26	तेलंगाना	434.5
27	त्रिपुरा	1484
28	उत्तराखंड	512.5
29	उत्तर प्रदेश	861.34
30	पश्चिमी बंगाल	910

*उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान किए गए ब्यौरे के अनुसार

****